संख्या-27/2018/1057 ई-2/तेरह-2018-165/2017

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 06 अप्रैल,2018

विषयः-बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-174/12/आ0लि0/एफ0एल0-7/बार-अनु0/गाजि0, दिनांक 04 नवम्बर,2017, पत्र संख्या-174/10/आ0लि0/एफ0एल0-7/बार-अनु0, दिनांक 04 नवम्बर,2017 तथा पत्र संख्या-271/19/जि0आ0अ0/एफ0एल0-7/बार-अनु0/गा0 बाद/2017-18, दिनांक 03-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरणों में जिला बार समिति की बैठक दि0 02.11.2017 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-265/दस-लाइसेंस-63/खण्ड-8/2017-18/एफ0एल0-6,7/गाजियाबाद, दिनांक 01 दिसम्बर,2017 तथा पत्र संख्या-जी-266/दस-लाइसेंस-63/खण्ड-8/2017-18/एफ0एल0-6,7/गाजियाबाद, दिनांक 01 दिसम्बर,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त (1) श्रीमती सुजाता झा (प्रोप्राइटर)पत्नी पुष्कर झा नि0 एस0एच0टी0-804, अजनारा लैण्ड मार्क मैन मार्केट वैशाली आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक बिल्डिंग सेक्टर-4 वैशाली, गाजियाबाद द्वारा संचालित कैप्टन्स रेस्टोरेन्ट प्लाट नं0-9 सिण्डीकेट बैंक बिल्डिंग द्वितीय फ्लोर सेक्टर-4 वैशाली गाजियाबाद को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन (2) मेसर्स सी0एस0के0 हास्पिटेलिटी सर्विस प्रा0लि0, 201 द्वितीय तल, एटेरनिया महागुन मेपल, प्लाट-26 ब्लाक-एफ, सेक्टर-50, नोएडा द्वारा संचालित पिण्ड बलूची रेस्टोरेन्ट, तृतीय फ्लोर महागुन मेट्रो मॉल, वी0सी0-3, सेक्टर-3, वैशाली, गाजियाबाद को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि बार अनुज्ञापन से सम्बन्धित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं उक्त दोनों होटल/रेस्टोरेन्ट्स में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-27/2018/1057(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-265/दस-लाइसेंस-63/खण्ड-8/2017-18/एफ0एल0-6,7/गाजियाबाद, दिनांक 01 दिसम्बर,2017 तथा पत्र संख्या-जी-266/दस-लाइसेंस-63/खण्ड-8/2017-18/एफ0एल0-6,7/गाजियाबाद, दिनांक 01 दिसम्बर,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।